

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन-भोपाल-462004

क्रमांक एफ 7-42/2012/आ.प्र./एक,
प्रति

भोपाल, दिनांक 05/10/2016

श्री कमलेश जोशी
टेक्निकल डायरेक्टर
एन.आई.सी., मंत्रालय
भोपाल


विषय:-जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 20 पर अंकित "चत्री" के स्थान पर "छत्तरी" को पोर्टल में अपलोड करने के संबंध में ।

—0—

कृपया उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुसूचित जनजाति की जो सूची राज्य शासन द्वारा एन.आई.सी. के माध्यम से वेबसाईट पर अपलोड कराई गई है उसमें अनुक्रमांक 20 पर कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तंवर के बाद "चत्री" अंकित है । जबकि जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 7-42/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 13 जनवरी, 2014 के साथ संलग्न परिशिष्ट-'सोलह' (पृष्ठ सं. 39) पर अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 20 पर "छत्तरी" अंकित है (प्रतिलिपि संलग्न) । उक्त त्रुटि के कारण "छत्तरी" अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं ।

2/ अतः अनुरोध है कि डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 20 पर अंकित "चत्री" के स्थान पर "छत्तरी" को MP eDistrict site में अंकित करने का कष्ट करें ।

संलग्न - उपरोक्तानुसार


(के.के. कातिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियां

1. अगरिया
2. आंध
3. बैगा
4. भैना
5. भारिया, भामिया, भुइनहार, भूमिया, भारिया, भालिहा, पांडो
6. भट्टार
7. भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया
8. भील, मीना
9. भुजिया
10. बिअर, बियार
11. बिन्जवार
12. बिरहुल, बिरहार
13. दामोर, दामेरिया
14. धनवार
15. गड़ावा, गड़वा
16. गोड़ (अरख, अर्राख, अगरिया, असुर, बडी, मडिया, बड़ा, भाडिया, भंटोला, भिम्मा, भता, कोइल भूता, कोईल भूटी, भार, बाइसन, हार्न माडिया, छोटा माडिया, डेडामी, मांडिया, घरू, धुरवा, धोबा, धूलिया, डोरला, गौकी, गट्टा, गट्टी, गैटा, गौड, गोवारी, हिल, मांडिया, कांड्रा कलंगा, खटोला, कोइटारा कोया, खिरवार, खिराबारा, कचमाडिया, कुचाकी, माडिया, माडिया, मारिया, मन्नेवार, मोधिया, मोधिया, मुडिया, मुरिया, नागरची, नागवंशी, ओझा, राज सोंझारी, झोरका, थारिया, थोटया, बडमारिया बड़े माडिया, दरोई)
17. हल्वा, हलवी,
18. कगार
19. कारकू
20. कवर, कंवर, कौर, छेरवा, राठिया, तवर, छत्तरी
21. कीर (भोपाल, रायसेन तथा सीहोर जिले में) भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8-1-2003 द्वारा विलोपित
22. खैरवार, कोंदार
23. खड़िया
24. कोंघ, खोंड कांघ
25. कोल
26. कोलभ
27. कोरकू, वोपची, मोवसी, निहाल नहुल, बोधी बोंडया
28. कोरबा, कोडकू
29. माझी
30. मझवार

31. मवासी

32. मीना (विदिशा जिले के सिरोंज सब डिवीजन में) भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8-1-2003 द्वारा विलोपित

33. मुंडा

34. नागेस, नागेसिया

35. उरांव, धानका, धनगड़

36. पनिका (छतरपुर, दतिया, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल, सीधी तथा टीकमगढ़ जिले में)

37. पाव

38. परधान, पठारी, सरोती

39. पारधी (भोपाल, रायसेन, सीहोर जिले में) भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 8-1-2003 द्वारा विलोपित

40. पारधी, बहेलिया, बहेल्लिया, चीता पारधी, लंगोली पारधी, फन्स पारधी, शिकारी, टाकनकार, टाकिया, (1. छिन्दवाड़ा, मण्डला, सिवनी, 2. बालाघाट जिले की बैहर तहसील, 3. बैतूल जिले की बैतूल, भैसदेही, और शाहपुर तहसील, 4. जबलपुर जिले की पाटन तहसील एवं सीहोरा एवं मझोली विकासखण्ड, 5. कटनी जिले की कटनी (मुरवारा) और विजया राघोगढ़ तहसील और बहोरीबांध, एवं धमीरखेड़ा विकासखण्ड, 6. होशंगाबाद जिले की बाबई, सोहागपुर, पिपरिया एवं बनखेड़ी तहसील तथा कैसला विकासखण्ड, 7. नरसिंहपुर जिला एवं 8. खंडवा जिले की हरसूद तहसील में)

41. परजा

42. सहेरिया, सहारिया, सेहरिया, सेरिया,

43. सांउला, सौता

44. सौर

45. सबर, सबरा

46. सोर